

# कार्यालय, देवघर नगर निगम, देवघर

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प ज्ञापांक 06/न0वि0 (TCPO)/न0उ0वि0-06-2016-5356 दिनांक 24.09.16 के आलोक में स्वीकृत)

बिल्डींग परमिट संख्या 126/2016-17 दिनांक 28/29-3-17 9.21/2

सेवा में,

श्री श्री अशोक कुमार का  
श्री श्री अजय कुमार का  
महाशय, श्री महेन्द्र नाथ का

आपके द्वारा, एम.डी. 5+5 अन्तः शिवालय के लिए, प्लान नं. 126/2016-067  
30/9/16, टैग नं. 283, ब्लॉक (क) 10/12-255, कटर 19, 2009, 8/12, 150, 150, 338

भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Built up Area) में वृद्धि नहीं होगी।
3. सरकार द्वारा आश्रय शुल्क निर्धारित होने के उपरान्त शपथ पत्र अनुरूप वांछित राशि को देवघर नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. भवन प्लान में सेट बैक एवं ड्राइव वे के लिये दिखायी गयी खूली जगह एवं अन्य खूली जगह में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
5. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं संरचना के सही रूपांकन अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standard) के साथ-साथ भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाय। निर्माण कार्य संरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
6. निर्माणकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना विशेषकर कर प्लीन्थ/भूमि तल निर्माण हो जाने के बाद देवघर नगर निगम के कार्यालय को देनी होगी एवं दस दिनों के अन्दर इसकी जाँच कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
7. निर्माणकर्ता को विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रान्सफॉर्मर की व्यवस्था करनी होगी। विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक रूप से पर्याप्त क्षमता वाला ध्वनी वा प्रदूषण रहित जनरेटर लगाना होगा।
8. जल उपलब्धता के लिये डीप बोरिंग नहीं करना होगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। आवश्यक क्षमता का सेप्टिक टैंक व सोक पीट का निर्माण करना होगा।
9. Rain water Harvesting के साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50% फलाई ऐश ब्रीक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।